प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय आरक्षित : 15.10.2025

निर्णय उद्घोषित : 30.10.2025

दोषमुक्ति अपील सं. 216/2018

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना नंदघाट, जिला बेमेतरा, (छत्तीसगढ़)

.....अपीलार्थी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 - मणिराम वर्मा, पिता- घनश्याम वर्मा, आयु- लगभग 21 वर्ष, निवासी- ग्राम दयालपुर, थाना नंदघाट, जिला बेमेतरा, (छत्तीसगढ़)

2 - परमेश्वर यादव, पिता- दुकलहा यादव, आयु- लगभग 22 वर्ष, निवासी- ग्राम दयालपुर, थाना नंदघाट, जिला बेमेतरा, (छत्तीसगढ़)

..... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अर्पित अग्रवाल, अधिष्ठित अधिवक्ता
प्रत्यर्थियों की ओर से	:	श्री राघवेंद्र प्रधान, अधिवक्ता

खण्ड पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

सी.ए.वी. निर्णय

द्वारा- संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश

1) यह अपील अपीलार्थी/राज्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत की गई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

बेमेतारा, जिला बेमेतारा (छत्तीसगढ़) द्वारा विशेष प्रकरण सं. 60/2016 में पारित निर्णय की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1- मणिराम वर्मा को भा. द. वि. की धारा 363, 366-क और 376 सहपठित धारा 6, लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम") के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त दिया गया है जबकि प्रत्यर्थी सं. 2- परमेश्वर यादव को पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के सहपठित धारा 366 एवं 368-क, भा. द. वि. के तहत अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया गया है।

2) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दीनानाथ साहू, जो अप्राप्तवय अभियोक्त्री का पति था, ने 24.05.2016 को नंदघाट थाना, जिला बेमेतरा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट (प्र.**P**-6) दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी अप्राप्तवय पत्नी 22.05.2016 पर घर पर अकेली थी और किसी और को सूचित किए बिना कहीं और चली गई थी और उसे अपने ससुराल वालों से पता चला कि प्रत्यर्थी सं. 1- मणिराम, उसे बहकाते हुए, उसे अपने साथ कहीं और ले गया है। इसके बाद, एक जांच की गई, जिसमें यह पता चला कि वह शादी के बहाने उसे उसके पति के वैध संरक्षकता से दूर ले गया और जिसके आधार पर 24.05.2016 को अपराध सं. 179/2016 के अपराध के संबंध में भा. द. वि. की धारा 363 और 366 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए उसके विरूद्ध एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.**P**-21) दर्ज किया गया था और जांच के दौरान, उसे थाना नंदघाट के नागधा चौक पर 24.05.2016 को उसके कब्जे से बरामद किया गया था, जैसा कि बरामदगी पंचनामा (प्र.**P**-1) से पता चलता है। बरामद होने पर, उसने बताया कि प्रत्यर्थी सं. 1- मणिराम, शादी के बहाने उसे बहकाते हुए ग्राम नागधा में अपनी बुआ के घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। उक्त प्रत्यर्थी को तब 24.05.2016 को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि वह प्रत्यर्थी सं. 2-परमेश्वर यादव की मदद से उसे उसके पति के वैध संरक्षकता से दूर ले गया था और उचित अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, उनके विरूद्ध भा. द. वि. की धारा 363, 366, 368 और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

376 सहपठित धारा 5(I)/6, पॉक्सो अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रत्यर्थियों के विरुद्ध यहां ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और विचारण का दावा किया।

3) अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य, विशेष रूप से दाखिल खरीज रजिस्टर (प्र.**P**-20) में की गई प्रविष्टियों पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्त्री घटना दिनांक को अप्राप्तवय थी। विचारण न्यायालय ने उसके अभिसाक्ष्य पर विचार कर आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी सं.- 1, मणिराम ने न तो उसका अपहरण किया था, न ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, और न ही प्रत्यर्थी सं.- 2, परमेश्वर यादव ने उसके अधिकथित कृत्य में उसकी सहायता की थी और तदानुसार, उन्हें कथित अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है और व्यथित होने पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कहा गया है कि अभियोक्त्री का प्रत्यर्थी सं.- 1, मणिराम द्वारा अपहरण नहीं किया गया था और न ही प्रत्यर्थी सं.- 2, परमेश्वर यादव द्वारा उसके अधिकथित कृत्य के लिए उसकी सहायता की गई थी, यह स्पष्ट रूप से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से अभियोक्त्री के कथन का उचित विश्लेषण नहीं किया गया है और इस तरह उन्हें दोषमुक्त करने में गलती हुई है।

5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

6) हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वानअधिवक्ता को सुना है और पूरे अभिलेख का परिशीलन किया है।

7) अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 1- मणिराम 22.05.2016 को शाम 5 बजे, अभियोक्त्री जो शिकायतकर्ता- दीनानाथ साहू की अप्राप्तवय पत्नी है, को बहकाते हुए उसे उसकी वैध संरक्षकता से दूर ग्राम नागधा में अपनी बुआ के घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और प्रत्यर्थी सं. 2-परमेश्वर यादव ने उसके अधिकथित कृत्य में उसकी सहायता की।

8) अधिकथनों को स्थापित करने हेतु अभियोक्त्री का अ.सा.-12 के रूप में परीक्षण किया गया। उसने अभिकथन किया कि उसका कथित प्रत्यर्थी के साथ प्रेम संबंध था और उसके अभिसाक्ष्य से आगे पता चला कि वह उसके साथ जाना चाहती थी, जिसने यद्यपि उससे कहा कि वह परिपक्व नहीं थी, परंतु उसके जिद्द और मनाने के कारण वह दूसरे दिन शाम लगभग 5 बजे आया और उसे अपने आने की सूचना दी। उक्त सूचना मिलने पर, वह अपने ससुराल से बाहर आई और उसके साथ दयालपुर में उसके घर गई, जहाँ, लगभग 2 घंटे रहने के बाद, वे ग्राम नागधा में उसकी बुआ के घर गए। उसके अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि वे रात को उक्त ग्राम में रहे थे, परन्तु उसने उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया और उसके अभिसाक्ष्य से आगे यह पता चलता है कि चूंकि वह अकेले उसके साथ गई थी, अतः उसके माता-पिता ने उसे रखने से इनकार कर दिया था। आगे यह प्रतीत होता है कि उक्त अवधि के दौरान, जब वह मणिराम के साथ थी, उसने प्रत्यर्थी सं. 2- परमेश्वर यादव को नहीं देखा था और यद्यपि, उसके दादा के कहने पर उसका नाम शामिल किया गया है। उसके अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि वह न तो प्रत्यर्थी- मणिराम द्वारा उसके साथ जाने के लिए शादी के बहाने बहकाई गई थी, बल्कि वह अकेले उसके साथ गई थी, न ही उसके द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था।

9) अभियोक्त्री (अ.सा.-12) के उपरोक्त साक्ष्य को देखते हुए, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने न तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, न ही उसे उक्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपने साथ जाने के लिए बहकाया है। इस प्रकार, उसके द्वारा कोई सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई गई है, जब अभियोक्त्री ने अपने ससुराल वालों का घर छोड़ दिया है बल्कि ऐसा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतीत होता है कि उसके अपने आग्रह और अनुनय के कारण, वह (मणिराम) उसे ले गया था।

10) अतः उसके अभिसाक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियोक्त्री ने, वस्तुतः अपने ससुराल वालों की संरक्षकता को अपने दम पर छोड़ दिया है और प्रत्यर्थी- मणिराम ने वह किया था जो वह चाहती थी और उसे उसके वैध संरक्षकता से जबरन दूर नहीं किया था, या अपने कथित अधिनियम के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 परमेश्वर यादव द्वारा उसकी सहायता की गई थी।

11) इसे ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने (मणिराम) उसे अवैध रूप से उसके वैध संरक्षक से ले गया और/या, भा. द. वि. की धारा 363 के तहत प्रदान की गई सामग्री आकर्षित होगी, जो उसे कथित अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) **1964 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.36** में प्रतिवेदित **एस. वर्दाराजन बनाम मद्रास राज्य** के मामले में कुछ में इसी तरह के प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार विचार किया गया था, जिसमें एक अप्राप्तवय लड़की, अर्थात् सावित्री ने अपीलार्थी (अभियुक्त), अर्थात् एस. वरदराजन द्वारा अनुनय, प्रलोभन या किसी भी प्रकार के प्रलोभन के बिना अपने माता-पिता की संरक्षकता को छोड़ दिया था और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, उसे भा. द. वि. की धारा 363 के तहत अपराध के संबंध में निर्दोष ठहराया गया था। कण्डिका- 7, 9, 10,1 6 और 18 में इस संबंध में की गई सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :

> “7. ....."वैध संरक्षकता से अपहरण" के अपराध को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 की पहली कण्डिका में इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

"जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो, अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि एक वैध अभिभावक को रखने का एक छोटा सा हिस्सा लेना या बहकाना अपहरण के अपराध का एक आवश्यक घटक है। यहाँ, हम प्रलोभन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें यह पता लगाना है कि क्या अपीलार्थी द्वारा निभाई गई भूमिका सावित्री के वैध अभिभावक के संरक्षण से "ले जाने" के बराबर है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यद्यपि एस. नटराजन ने सावित्री को अपने रिश्तेदार के. नटराजन के घर पर छोड़ दिया था, फिर भी वह सावित्री की वैध रख-रखाव में बनी रही, परन्तु फिर प्रश्न यह बना रहता है कि अपीलार्थी ने क्या किया जो विधिक रूप से "ले जाना" है। सावित्री के अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसने के. नटराजन के कहने पर या अपीलार्थी के सुझाव पर भी घर छोड़ दिया था। वस्तुतः वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि 1 अक्टूबर की सुबह, उसने खुद अपीलार्थी को एक निश्चित स्थान पर उसकी कार में मिलने के लिए फोन किया, उस स्थान पर गई और उसे कार

में इंतजार करते हुए पाया और अपनी मर्जी से उस कार में बैठ गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कहती है कि उसने अपीलार्थी को यह नहीं बताया कि कहाँ जाना है और यह अपीलार्थी ही था जो कार को गिंडी और फिर मायलापुर और अन्य स्थानों पर ले गया था।इसके अलावा, सावित्री ने कहा है कि उसने अपीलार्थी से शादी करने का निर्णय किया था।ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि अपीलार्थी उसे उप-पंजीयक के कार्यालय में ले गया और वहाँ विवाह के करार को (यह सोचकर कि उन्हें पुरुष और पत्नी बनाने के लिए यह विधि में पर्याप्त था) बलपूर्वक या अपमान या ऐसा कुछ करके पंजीकृत कराया। दूसरी ओर लड़की के साक्ष्य में कोई संदेह नहीं है कि शादी का आग्रह उसकी ओर से आया था।अपीलार्थी, उसकी इच्छाओं का पालन करके, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने उसे अपने वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर कर दिया है। करार के पंजीकरण के बाद अपीलार्थी और सावित्री दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते थे और विभिन्न स्थानों पर जाते थे। सावित्री के साक्ष्य में ऐसा कोई संकेत नहीं है, जिसका उल्लेख किया जा सकता है कि उसने विवेकाधिकार की आयु प्राप्त कर ली थी और वह बहुमत प्राप्त करने के कगार पर था कि अपीलार्थी ने उसे किसी भी तरह की धमकी देकर या किसी भी तरह की बदनामी करके उसका साथ दिया था।अपीलार्थी के साथ उसके पूरे समय रहने का तथ्य अपीलार्थी की पत्नी बनने की सावित्री की अपनी इच्छा के साथ काफी सुसंगत है जिसमें जहां भी वह गया, उसके साथ जाने की इच्छा निश्चित रूप से निहित थी। इन परिस्थितियों में हम ऐसा कुछ भी नहीं पाते हैं जिससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थी सावित्री को उसके पिता के संरक्षण से बाहर निकालने का दोषी था। वह स्वेच्छा से उसके साथ गई और विधि ने उसे उसके पिता के घर वापस ले जाने या उसे उसके साथ नहीं जाने के लिए कहने का कर्तव्य भी उस पर नहीं डाला.....”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. .....“हम खुद को वर्तमान प्रकरण जैसे प्रकरण तक सीमित रखेंगे जहां अप्राप्तवय को अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से ले जाया गया था और उसने अपने पिता की सुरक्षा को यह ज्ञात होता है हुए छोड़ दिया था कि वह स्वेच्छा से अभियुक्तगण के साथ क्या कर रही थी, इसका पूरा महत्व जानने की क्षमता थी। ऐसे प्रकरण में हमें नहीं लगता कि यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने उसे उसके वैध अभिभावक के संरक्षण से दूर कर दिया था। इस तरह के प्रकरण में कुछ और दर्शाया गया जाना चाहिए और वह है अभियुक्तगण द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता है किसी प्रकार का प्रलोभन या अप्राप्तवय के अभिभावक का घर छोड़ने के आशय के निर्माण में उसके द्वारा सक्रिय भागीदारी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यद्यपि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि यद्यपि अप्राप्तवय के पिता की सुरक्षा छोड़ने से तुरंत पहले अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, लेकिन उसने किसी प्रारंभिक स्तर में अप्राप्तवय को ऐसा करने के लिए कहा था या राजी किया था। हमारे मत में, यदि उन चीजों में से किसी एक को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की कमी है, तो यह निष्कर्ष निकालना वैध नहीं होगा कि अभियुक्त अप्राप्तवय को वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर निकालने का दोषी है, केवल इसलिए कि जब वह वास्तव में अपने अभिभावक के घर या एक घर से निकल गई है जहां उसके अभिभावक ने उसे रखा था, तो वह अभियुक्त के साथ शामिल हो गई और अभियुक्त ने उसे अपने अभिभावक के घर वापस नहीं जाने के लिए उसकी योजना में मदद की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की के आशय को पूरा करने में सहायता के रूप में माना जा सकता है। यह कृत्य हमारे मत में, अप्राप्तवय को अपने वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर निकलने के लिए एक प्रलोभन से कम है और

अतः "ले जाने" के समान नहीं है।

16. दूसरा प्रकरण रेक्स बनाम जेम्स जार्विस है। उसमें जेल्फ, न्यायाधीश ने जूरी को इस प्रकार विधि निम्नानुसार बताया हैः

> "यद्यपि एक ग्रहण अवश्य होना चाहिए, फिर भी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कैदी को दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए लड़की को वास्तविक रूप से शारीरिक रूप से ले जाना आवश्यक नहीं है; यह पर्याप्त है यदि वह उसे अपना घर छोड़ने के लिए राजी करता है और अनुनय या अपमान द्वारा उसके साथ चला जाता है। आपके लिए प्रश्न यह है कि क्या एक साथ जाने में सक्रिय हिस्सा कैदी का कृत्य था या लड़की का; जब तक कि यह कैदी नहीं था, वह आपके फैसले का हकदार है। और, भले ही आपको विश्वास न हो कि उसने वही किया जो वह नैतिक रूप से करने के लिए बाध्य था-अर्थात् उसे घर लौटने के लिए कहें-यह तथ्य अपने आप में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यदि वह अपना घर छोड़ने के लिए दृढ़ थी, और कैदी को दिखाती थी कि यही उसका दृढ़ संकल्प था, और उसके साथ जाने पर जोर देती थी-या भले ही वह इतनी आगे थी कि कैदी को लिखने और सुझाव देने के लिए कि वह उसके साथ चला जाए और वह उसके सुझाव को मान गया, मामले में सक्रिय भाग नहीं लेते हुए, आपको उसे बरी कर देना चाहिए। यद्यपि, यदि कैदी का आचरण ऐसा था कि वह लड़की को उस समय या भविष्य में अपना घर छोड़ने के लिए उकसाता था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> तो उसे अपहरण के अपराध का दोषी पाया जाना चाहिए। इस प्रकरण में किसी भी समय अभियुक्त द्वारा किसी भी अनुरोध का कोई साक्ष्य नहीं था और जूरी ने "दोषी नहीं" का निर्णय दिया। इसके अलावा, ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि लड़की अपने लिए सोचने और अपना मन बनाने में असमर्थ थी।

18. इन दोनों निर्णयों और दो अन्य निर्णयों पर निर्भर करते हुए, इंग्लैंड में विधि हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडिशन, वॉल्यूम 10, पी. 758 में निम्नानुसार है:-

> "प्रतिवादी को सिद्धदोष किया जा सकता है, यद्यपि उसने लड़की को वास्तविक रूप से हटाने में कोई भाग नहीं लिया, अगर उसने पहले उसे उसके पिता को छोड़ने का अनुरोध किया था, और बाद में जब उसने ऐसा किया तो उससे मिला और उसे आश्रय दिया। यदि कोई लड़की अपने पिता को अपनी मर्जी से छोड़ देती है, तो प्रतिवादी मामले में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता है और उसे जाने के लिए राजी या सलाह नहीं देता है, तो उसे इस अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया जा सकता है, यद्यपि वह उसे न आने की या लौटने जाने की सलाह देने में विफल रहा, और बाद में उसे शरण दिया ....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, जहां अभियोक्त्री, जैसा कि उसके कथन के आधार पर ऊपर देखा गया है, ने स्वयं प्रत्यर्थी सं. 1, मणिराम की सक्रिय भागीदारी के बिना अपने पति की संरक्षकता को छोड़ दिया था, और न ही प्रत्यर्थी सं. 2, मणिराम परमेश्वर यादव द्वारा सहायता प्राप्त की गई थी, अतः हम संतुष्ट हैं कि कोई भी अपराध, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कारित नहीं किया गया है, जिससे इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।

14) परिणामस्वरूप, सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

सही/- **(संजय एस. अग्रवाल)** **न्यायाधीश**	**सही/-** **(संजय कुमार जयसवाल)** **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur